



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 62/2026

शिव पूजन शर्मा

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व, लखनऊ एवं 4 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – नारायण दत्त तिवारी, कृष्ण मोहन

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, पंकज सिंह

न्यायालय संख्या – 17

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री नारायण दत्त तिवारी, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री विकास राय, ग्राम सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज गुप्ता के वाद धारक अधिवक्ता श्री मोहम्मद तालिब खान को सुना और अभिलेख में उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया।
2. जनहित में दायर इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 28.12.2022 के कार्यान्वयन के लिए निर्देश जारी करने की मांग की है।
3. मनकापुर, गोंडा के तहसीलदार द्वारा दिए गए लिखित निर्देशों के आधार पर विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने न्यायालय को सूचित किया है कि कथित अतिक्रमणकारी ने दिनांक 28.12.2022 के एकपक्षीय आदेश को रद्द करने के लिए एक आवेदन के साथ-साथ परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत एक आवेदन दायर किया है, जिसे वाद संख्या 2583/2026 के रूप में पंजीकृत किया गया है और जिसकी सुनवाई 17.02.2026 को नियत है। तहसीलदार ने लिखित निर्देशों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के बाद पुनर्स्थापन आवेदन का तत्परतापूर्वक निस्तारण किया जाएगा। यह निर्देश अभिलेख में दर्ज कर लिए गए हैं।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

4. तदनुसार, याचिका का निस्तारण, तहसीलदार, मनकापुर, गोंडा को यह निर्देश जारी करते हुए किया जाता है कि वे पुनर्स्थापन आवेदन (संख्या 2583/2026) पर विधि के अनुसार तत्परतापूर्वक निर्णय लें और उसके बाद विधि के अनुसार अतिक्रमण हटाने के लिए समस्त आवश्यक कार्रवाई यथासंभव तत्परतापूर्वक करें।

3 फरवरी, 2026

राम

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)